d a s p

कृषि विविधीकरण परियोजना

चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010
फोन : 2720718 फैक्स : 2720837
Email: updasp@sancharnet.in, Website : www.updasp.org

पत्रांक:2712(A)/030/एच/वि0 एवं ले0/98
दिनांक: 06 जून, 2008

कार्यालय आदेश

परियोजना कियान्वयन इकाई स्तर पर उपार्जन प्रकिया संबंधी जारी कार्यालयादेश संख्या–18/030/एच/वि0 एवं ले0/98 दिनांक 02.04.2008 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् आदेश जारी किये जाते है:–

1. उपरोक्त कार्यालयादेश के बिन्दु 1 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

   रू0 2,500.00 तक मूल्य की सामग्री के कय हेतु कोटेशन/टेण्डर आदि आमंत्रित कियें जाने की आवश्यकता नही होगी तथा इस सीमा तक कय नोडल अधिकारी के अनुमोदन से किये जा सकेगें। यह सुनिश्चित किया जाये कि इससे अधिक मूल्य के उपार्जन को दो या उससे अधिक भागों में विभाजित कर रू0 2,500.00 की सीमा के अन्दर लाकर न निष्पादित किये जाये।

2. उपरोक्त कार्यालयादेश के बिन्दु 2 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

   रू0 2,500.00 से अधिक किन्तु रू0 15,000.00 से अनधिक मूल्य की सामग्री न्यून्तम तीन कोटेशन आमंत्रित कर निम्न कय समिति की संस्तुति पर की जायेंगी:–

1	नोडल अधिकारी	अध्यक्ष
2	परियोजना कियान्वयन इकाई के वित्त एवं लेखा प्रभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
3	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य

3. उपरोक्त कार्यालयादेश के बिन्दु–6(a) पर अंकित "उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालयाध्यक्ष" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश शासन द्वारा घोषित जिला स्तरीय कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष" से है।

4. उपरोक्त कार्यालयादेश के बिन्दु 7 मे आंशिक संशोधन करते हुये परियोजना कियान्वयन इकाई स्तर पर रू0 15,000.00 से अधिक मूल्य के उपार्जन हेतु पी.सी.डी.एफ. मे गठित कय समिति में पी.सी.डी.एफ. के प्रभारी (मैटीरियल्स) भी कय समिति के सदस्य होगें।

62

इसी तरह अन्य परियोजना कियान्वयन इकाईयों हेतु गठित कय समितियों में कय समिति के अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को कय समिति का सदस्य नामित कर सकेंगें।

भवदीया,

6.06.08

(आराधना शुक्ला)
परियोजना समन्वयक

पृष्ठांकनः 27/XIV/030/एच/वि0 एवं ले0/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष, डास्प को अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य, कृषि विपणन।
4. विशेष सचिव, समन्वय, उ0प्र0 शासनं
5. निदेशक, कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन, मत्स्य, मण्डी परिषद एवं प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0।
6. नोडल अधिकारी, डास्प, कृषि, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन, मत्स्य, मण्डी परिषद एवं पी0सी0डी0एफ0।
7. समस्त अधिकारी, पी0सी0यू0, डास्प।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक, उपार्जन।
9. गार्ड फाइल।

6.06.08

(आराधना शुक्ला)
परियोजना समन्वयक